समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 224/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री वीरेन्द्र ना0 सिंह, पिता- स्व0 गया प्रसाद सिंह, सा0- वाड़ा, थाना- उदाकिशुनगंज (ग्वालपाड़ा), जिला-मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 03/65 को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गयी थी।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचित किया गया है कि वे काफी बूढ़ा हो चुके है तथा उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द करवाना चाहते है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् श्री वीरेन्द्र ना0 सिंह को प्रदत्त एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 03/65 को रद्द किया जाता है। साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के अन्तर्गत धारित दो नाली बन्दूक संख्या- ए 352 को उदाकिशुनगंज थाना के मालखाना में जमा करने की अनुमति दी जाती है।

श्री वीरेन्द्र ना0 सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे अपने एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 03/65 की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 03/65 की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा के उपरान्त शस्त्र पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 55/शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 14-02-2014

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज /थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्री वीरेन्द्र ना0 सिंह, पिता- स्व0 गया प्रसाद सिंह, सा0- वाड़ा, थाना- उदाकिशुनगंज (ग्वालपाड़ा), जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/02/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा